ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-11* December- 2017
Innovation The Research Concept

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की संभावनाएँ, संदर्भ एवं समस्याओं का अध्ययन

मधु कंवर सोनी
प्राचार्या,
माँ सरस्वती बी.एड. कॉलेज,
जोधपुर

जगदीश बाबल
शोधार्थी,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
जर्नादन राय नागर विद्यापीठ,
उदयपुर

सारांश

संविधान में निहित प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान की पूर्ति के लिये यद्यपि आरम्भ से ही प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात भी शिक्षा के विकास एवं उपलब्धि पर नजर डाल जाये तो यह तथ्य उभर कर सामने आते है कि तमाम प्रयासों के बाद भी हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है; ऐसे समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जाना ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्रयास है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक अनुपम उदाहरण है।

मुख्य शब्द : शिक्षा का अधिकार अधिनियम

प्रस्तावना

संविधान में निहित प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान की पूर्ति के लिये यद्यपि आरम्भ से ही प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी शिक्षा के विकास एवं उपलब्धि पर नजर डाल जाये तो यह तथ्य उभर कर सामने आते है कि तमाम प्रयासों के बाद भी हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है; ऐसे समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जाना ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्रयास है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक अनुपम उदाहरण है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में 1910 में सर्वप्रथम बालकृष्ण गोखले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी। 1937 में महात्मा गाँधी और डॉ. जाकिर हुसैन ने "नई तालीम" नाम से ऐसी शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की थी जिसमें शिक्षा के साथ–साथ उत्पादन कार्यों का भी समावेश था। 1966 में कोठारी आयोग ने बच्चों के लिये समान शिक्षा की सिफारिश की थी। 1986 में राजीव गाँधी ने शिक्षा नीति में गुणवत्ता पर जोर दिया जिसके फलस्वरूप नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी। आजादी के समय भारत में शिक्षा लिंगभेद और वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान संसोधन 1986 के परिणामस्वरूप शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा और संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया। संविधान के 1986 वें संसोधन के द्वारा अधिनियम दिसम्बर 2002 में पास किया गया और अनुच्छेद 21 (क) के तहत इसको एक मौलिक अधिकार का रूप दिया गया।

शिक्षा का अधिनियम 2009 का संक्षिप्त परिचयः

प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये, प्रत्येक बालक के अधिकार की संवैधानिक कल्पना को साकार करने के लिये, सभी के लिये शिक्षा की गुणवत्ता की जरूरत के प्रति संवेदनशील संस्थाओं में प्रारंभिक शिक्षा की विकेन्द्रीकरण योजना तथा प्रबंधन में सहभागीता के लिये, उनकी भूमिका को परिभाषित करने तथा उनका सृजन करने के लिये, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आया। शिक्षा का अधिकार संविधान में 86 वाँ संसोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 (क) में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत 6–14 वर्ष के सभी बालकों को विधि के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इस कानून के अंतर्गत सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उत्तरदायित्त्व केन्द्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

यह अधिनियम 1 अप्रेल 2010 से लागू किया गया है इस –

1 अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

2 निःशुल्क से तात्पर्य किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस/शुल्क/व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक है।
3 अनिवार्य से तात्पर्य–विधेयक प्रावधानों के तहत 6–14 वर्ष के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत प्रतिशत उपस्थिति तथा शत प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है।
4 सभी तरह के विद्यालय सरकारी, अर्धसरकारी सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सरकारी, केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सैनिक या किसी भी प्रकार का विद्यालय हो, इस कानून के दायरे में आएंगे। सभी तरह के विद्यालय पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित रखेंगे। कोई भी विद्यालय कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं करेगा।
5 सभी विद्यालय शिक्षित–प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती करेंगे ओर अध्यापक–छात्र अनुपात 1:30 रहेगा।
6 प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जायेगा न ही निकाला जायेगा।
7 वित्तीय बोझकेन्द्र एवं सरकार के बीच साझा किया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार में चुनौतियाँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार का एक सराहनीय कदम है फिर भी अधिनियम के अनेक प्रावधान विसंगतियों से परिपूर्ण है जिस पर गहन चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा इस अधिनियम के व्यवसाहिक क्रियान्वयन के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की मुहिम को जा बल मिला है, उसे वासतविक धरातल पर उतारना मुश्किल हो जायेगा।

इस अधिनियम की विसंगतियों को दूर करने के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

बच्चों का सम्मानजनक संबोधन रखा जाये

आरटीआई के तहत प्रवेशित बच्चों को प्रवेश के स्थान पर आरक्षण दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है ये बच्चे जबरदसती विद्यालय को थोंपे गए है क्योंकि इन बच्चों को प्रायः आरटीआई वाले बच्चे कहकर पुकारा जाता है और यही इनका संसोधन बन जाता है जो इन बच्चों के लिये उपहास का आधार बनता जा रहा है;। ऐसे बच्चों की संख्या विद्यालय में कम होती है इसलिये अन्य बच्चे इन्हें आरटीआई या गरीब बच्चे कह कर उन्हें उपहास का पात्र बना देते हैं, जिससे बच्चों में पारिवारिक स्थिति की हीन भावना विकसित होने लगती है। यह हीन भावना आगे के विकास को प्रभावित करती है। अतः इस अधिनियम के अनुसार प्रवेशित बच्चों का संबोधन बदलने का प्रयास किया जाये।

आयु वर्ग में सुधार किया जाये

इस अधिनियम में 6–14 वर्ष के बच्चे को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में रखा गया है। 0–6 एवं 6–18 के आयु वर्ग के बीच के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान के लागू होने के दस साल के अंदर सरकार 0–14 वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देगी। बाल अंतर्राष्टीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों को बच्चा माना गया हैं, जिसे 142 देशों ने स्वीकार किया है भारत भी उनमें से एक है। इस अधिनियम में 14–18 आयुवर्ग के बच्चों को शिक्षा की बात को शामिल नहीं किया गया। अतः इस वर्ग के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाये। 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित परन्तु कई परिवारों में 6 वर्ष से पूर्व भी बच्चों को घरेलू कार्य या घरेलू व्यावसाय में शामिल करना प्रांरभ कर दिया जाता है। अतः बच्चों को पूर्णरूप से शिक्षा की ओर जोड़ने के लिये आयु वर्ग 3 वर्ष निर्धारित कर दी जाये।

दस्तावेजों के सुक्ष्म निरक्षण की व्यवस्था की जाये

इस अधिनियम की कुछ विसंगतियां के कारण अनेक बड़े–बड़े निजी विद्यालयों ने फर्जी दस्तावजों के साथ प्रवेश देना शुरू कर दिया हैं और इसमें स्वयं भी मद करते है। कई जगह आर्थिक रूप से सशक्त समुदाय वाले भी फर्जी बीपीएल का कार्ड बनवाकर निजी विद्यालयों के प्रबंधक से सामंजस्य बैठाकर बच्चों को इस अधिनिमय के अनुसार प्रवेश दिलवा देते हैं। दस्तावेजों की सही एवं सुक्ष्म जांच के माध्यम से ही इस विसंगति को दूर किया जा सकता हैं इसके लिये कठोर नियम एवं दण्ड का प्रावधान आवश्यक है।

बाल मजूदर संबंधी शिक्षा का प्रावधान जोड़ा जाये

यह कानून बाल मजदूरी के मसले पर या स्कुल से बाहर के बच्चों, तथा स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होने वाले बच्चों पर मौन है। इस कानून की घोषणा के वक्त ही शिक्षाविदों और सामामजिक संगठनों ने इस कमी की तरफ सरकार का ध्यानाकर्षित किया था, परन्तु देश की जमीनी हकीकते देश में व्याप्त बाल एवं बंधुआ मजदूरी की प्रथा, बाल व्यापार सरकारी मषीनरी की सक्रियता में कमी, जनजागरूकता एवं मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा को अनदेखा किया गया है। अतः बाल श्रमिकों संबंधी शिक्षा व्यवस्था को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिये।

शिकायत का अभाव

इस अधिनियम में आने वाली परेशानियों की शिकायत न्यायपालिका में नहीं की जा सकती। संवैधानिक आधार पर जन शिकायत का अभाव होने के कारण यह अधिनियम हाथी के दांत की तरह प्रतीत होने लगा है। जन शिकायत संबंधी निम्न कमियां इस अधिनियम व्याप्त है जिन्हें दूर किया जाये –

1 इस अधिनियम संबंधी शिकायत राष्ट्रीय या राज्य आयोगों में ही करनी पड़ती है जो संवैधानिक न होकर सरकारी महकमा है इनके पास न तो सजा देने का न ही दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। परिणामस्वंरूप शिकायत के अभाव में यह अधिनियम मात्र प्रारूप बनकर रह गया।
2 इन आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति का आधार राजनैतिक अथवा प्रशासनिक दबाव है। इनकी नियुक्ति का आधार परिवर्तित किया जाना चाहिये।
3 शिक्षा का प्रबंध संचालन का कार्य शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग का दायित्व है, जबकि इस मामले में

शिकायत सुनना व निगरानी करना बाल संरक्षण आयोग अधिकार क्षेत्र में आता है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है न कि शिक्षा, मंत्रालय। इस कारण शिकायत का क्षेत्र स्पष्ट नहीं हो पाता, इस अधिनियम की सही अनुपालन हेतु संवैधानिक आधार पर स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जानी चाहिय तथा उन्हें व्यापक अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किये जाने चाहिये।

4 अब तक केवल 9 राज्यों में ही राज्य आयोग बन सके इनमें भी तो न तो पर्याप्त अधिकारी है और न ही कर्मचारी और न संसाधन। प्रत्येक राज्य स्तर पर आयोग की नियुक्ति कर व्यवस्थित प्रारूप बनाना जाना चाहिये ताकि शिकायत निवारण की जा सके।

शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुविधा को बढ़ाया जाये

गैर सरकारी रिपोर्ट असर के अनुसार सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पांचवी कक्षा के 55 फीसदी बच्चे दूसरी की किताब तथा तीसरी में पढने वाले 65 फीसदी बच्चे पहली कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं सरकारी विद्यालय की शिक्षा की गुणवता बढ़ायी जानी चाहिये। सरकारी विद्यालयों की सुविधाओं को भी बढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाये, प्राथमिक स्तर पर अधिक से अधिक महिला शिक्षिकाओं को नियुक्त किया जाना चाहिये। भवन, पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य सामग्री खेल सामग्री खेल मेदान, प्रयोगशाला,पुस्तकालय, शिल्प शिक्षण, छात्रवृति, छात्रावास आदि की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था की जाये। सुविधाओं के स्तर की दृष्टि से विद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय यानवोदय विद्यालय के समकक्ष लाने का प्रयास किया जावे।

शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण को रोकने के ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश पर भी रोक लगायी जाये।

सम्मान स्कूल प्रणाली पर आधारित मुफत अनिवार्य एवं समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया जाये।

शिक्षा का अधिकार विधेयक के मौजूदा प्रारूप को परिवर्तित कर उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाला नया विधेयक बनाया जाए ताकि विधेयक के मसौदे पर जनसुनवाई की जा सके। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाये।

कोठारी आयोग एवं तपससेन गुप्ता समिति की सिफारिश के अनुसार कम से कम राष्ट्रीय आय के छह प्रतिशत के बराबर व्यय सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

शिक्षा का अधिकार अधिनियम चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को दूर करने के लिये एक स्तंभ की तरह खड़ा है। यह प्रयास राज्य एवं केन्द्र सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के लिये प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार की भागीदारी के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। इस कार्यक्रम में भाग ले रही विभिन्न ऐजेन्सियाँ एवं कार्यकत्ताओं के बीच का समन्वय होना चाहिये। प्रयासों के फलस्वरूप पूरे कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार एवं ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को शत प्रतिशत लागू कर दिया गया परंतु अभी भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर विचार करना अनिवार्य है और उनके समाधान के लिये उपाय खोजना भी आवश्यक है तभी शिक्षा को समान अवसर दे पाने का स्वप्न साकार हो पायेगा। ये विचारणीय मुद्दे निम्नानुसार है :–

1 देश में निजी विद्यालयों की बहुतायत है जिससे इनमें बहुतायत में प्रवेश होने की संभावना है। इस अधिनियम में सभी निजी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या ये निजी एवं अल्पसंख्यक संस्थाएँ इसके प्रति सकारात्मक है ?

2 निजी विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की तुलना में ऊँचा शुल्क वसूल किया जाता है वहाँ प्रवेश में 25 प्रतिशत स्थान झूठे आय प्रमाण – पत्र प्रस्तुत कर समृद्व अभिभावकों की संतानें इन संभ्रांत विद्यालयों में प्रवेश ले सकने में सफल होंगे।

3 कमजोर वर्ग का आंकलन आय के आधार पर होगा या फिर जातिगत आधार पर ? इस पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है।

4 यदि कमजोर वर्ग के अभिभावकगण वित्तीय या अन्य स्त्रोतों से फीस की व्यवस्था कर भी लेते है, तो उनके पुनर्भरण की कोई भी व्यवस्था अधिनियम में नहीं की गई है। यह भी एक विचारणीय मुद्दा है।

उपरोक्त मुद्दे है जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि बच्चों के बालमन पर भेदभाव का भाव उत्पन्न होकर उनकी मानसिकता को प्रभावित करे और अमीर व गरीब बच्चों के प्रति अस्पृष्यता का भाव पैदा कर समाज को बाँटने का काम करें।

अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में सबको समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा ? ऐसा इसलिये क्यों कि हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक है इसलिये तीन चौथाई आबादी की किस्मत में सरकारी स्कूल है। साथ ही यह अधिनियम कक्षा एक से आठ तक की कक्षा के लिये है। प्रश्न है कि कक्षा आठ के बाद क्या होगा ? क्या आठवीं की पढ़ाई कर कोई बच्चा रोजगार पा सकता है। गरीब और साधारण बच्चों के लिये आगे की शिक्षा निरंतर लेना नामुमकिन है। अतः बराबरी लाने की जिस भावना के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, उसे पाने के लिये गुणवत्ता के फर्क को भी मिटाना होगा तभी शायद हम शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत सरकार।*
2. *राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रिपोर्ट राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन 2006–2009 भारत सरकार।*
3. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005), नई दिल्ली।*
4. *शिक्षा का अधिकार बिल 2005।*

5. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरसंसोधन 1992 शिक्षा की नीति।*
6. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।*
7. *अध्यापक शिक्षा नई दिल्ली वर्ष 2009–10 के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा।*
8. *अग्रवाल, यू.सी. 2010, बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में "प्राथमिक शिक्षा" –एक विश्लेषण. प्रतियोगिता दर्पण. जून आगरा।*